प्रेस नोट दिनांक 08.11.2020

1. दिनांक 07.11.20 को वादी श्री अंबेश कुमार पुत्र विनोद प्रसाद नि0 शाहगंज मुकीमपुर थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आरिफ पुत्र फिरोज नि0 मउशिवाला थाना कैण्ट अयोध्या व कुछ अन्य व्यक्ति अभि0 द्वारा तेजगति व लापरवाही पूवर्क वाहन चलाकर वादी की साइकिल में टक्कर मार देना विरोध करने पर अभि0गण द्वारा वादी को जान माल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 531/20 धारा 279, 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

2. दिनांक 07.11.20 को वादी श्री प्रकाश पाठक लेखपाल क्षेत्र सरियावां तहसील सोहावल अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कर्मराज पुत्र भगवती नि0 सरियावा थाना पूराकलन्दर आदि 02 नफर अभि0द्वारा धान की पराली जलाकर वायुमंडल को प्रदूषित करना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 617/20 धारा 188, 278, 290, 291 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. दिनांक 07.11.20 को वादी उ0नि0 श्री रामनरेश वर्मा थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी मुन्ना नि0 पिपराताल थाना पूराकलन्दर अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गणों द्वारा गोवशींय पशु का वध कर मांस बेचना मौके से 52 किग्रा0 गोमांश व 27 पैकेट गोमांश, बांका, चाकू, तराजू, बरामद होना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 619/20 धारा 3/5/8 गो0नि0 अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

4. दिनांक 07.11.20 को वादी उ0नि0श्री राजकुमार यादव थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि लक्ष्मण पुत्र पुद्दन नि0 फजलपुर देवगांव थाना कुमारगज अयोध्या **गिर0** अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 313/20 धारा 60 आबकारी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।